13/5/25 पत्रावली पेश हुई पत्रावली ~~वास्ते~~ ~~आदेश~~ लम्बीजात कार्यवाही हेतु दिनांक 16.5.25 को पेश हो

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

16/5/25 पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब ...डिगा... मय ... में व्यस्त हो
अतः पत्रावली इलतबा होकर आयन्दा
दिनांक 13.6.25 को पेश हो।

13/6/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप०/ सहायक अभियंता, PWD विभाग को आगामी पेशी पर उपस्थित होने हेतु तहरीर जारी किया पत्रावली दिनांक 24.6.2025 को पेश हो

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

24.6.25 पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब ...पं. दीनदयाल उपाध्याय कैम्प में व्यस्त हो
अतः पत्रावली इलतबा होकर आयन्दा
दिनांक 25.7.25 को पेश हो।

25/7/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। सहायक अभियंता सा0 निर्माण विभाग शिवगंज ने उपस्थित होकर बताया कि वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें तहसीलदार शिवगंज के द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत मौका फर्द में वादी मंछाराम ने की गई कार्यवाही के संबंध में स्वयं सहमति के हस्ताक्षर किये है। तथा भविष्य में इस बाबत कोई उजर ऐतराज नहीं करेगें। व न हि किसी प्रकार के मुआवजे की मांग करेंगें। वादी स्वयं ने उक्त फर्द पर सोच समझ कर हस्ताक्षर किये है जो पत्रावली में मौजूद है।

AEn PWD. Sheoganj 25/07/2025

हमने पत्रावली व दिनांक 03.05.2024 की मौका फर्द का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि वादी स्वयं की गई कार्यवाही से सहमत है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:41:32 IST
Reason: Self Attested